

कार्यालय प्रधानाचार्य:- महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

दिनांक 05.04.2022

पत्रांक/मे०का०दे०/एस०आर०/2022-23/

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक-मे०का०दे०/2021-22/18C2, दिनांक-14.01.2022 के विज्ञप्ति द्वारा महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया हेतु सीनियर रेजिडेन्ट के रिक्त पदों के सापेक्ष वेतनमात्र ₹० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन ₹० 6600 में दोक्के इन इन्टरव्यू (Walk in Interview) के आधार पर 01 वर्ष के लिए कि दिनांक 19.01.2022 से दिनांक 30.03.2022 तक राधात्कार आयोजित किया गया था। उक्त साक्षात्कार में कमेटी की सरतुति के आधार पर चयनित अभ्यर्थी की सृची विभागदार निर्गत की जा रही है-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	कटेगरी	आवृत्ति विभाग	मो०न०	ई-मेल
01	Dr. Bhaskar Gupta	Shri. Virendra Kumar Gupta	UR	Emergency Medicine	9654114439	guptabhaskar1989@gmail.com
02	Dr. Muhammad Irshad Alam	Md. Tafazur Hussain	OBC	Emergency Medicine	9919158506	irshaddeo@gmail.com

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० शारन द्वारा प्राप्त निदेशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि अधिलम्य महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित हो कर निम्न शर्तों के अधीन कार्यगार ग्रहण करना सुविश्वित करें।

01. यह आवश्यक होगा कि नियुक्ति आदेश के 05 कार्य दिवस के भीतर संरथा में अपना कार्यभार ग्रहण कर ले। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
02. सीनियर रेजिडेन्ट मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न तो कही प्राइवेट प्रैविट्स करेगा।
03. सीनियर रेजिडेन्ट को महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
04. कार्य में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
05. यह नियुक्ति सम्बंधित विभागाध्यक्ष द्वारा वैमासिक समीक्षा एवं मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
06. किसी भी सीनियर रेजिडेन्ट को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 माह पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से त्याग-पत्र दिये जाने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा वीर स्थिति में सम्बंधित सीनियर रेजिडेन्ट के एक माह का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
07. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
08. कार्यस्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है। परन्तु बिना प्रतिरक्षानी की उपलब्धता के कार्यरथल से अनुपरिधित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यदाही की जायेगी।
09. किसी भी प्रकार का हड्डताल या आन्दोलन करने पर नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

प्रधानाचार्य

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य

चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

तददिनांक

पत्रांक/मे०का०दे०/चि०कि०/2022-23/ 18

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र०, लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी वेवसाइट, मेडिकल कालेज, देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज वेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. सम्बंधित विभागाध्यक्ष।
06. सूचना, पट, कालेज।
07. गार्ड फाईल।



प्रधानाचार्य
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।